

## फर्द अहकाम

### न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री भेरूलाल

विपक्षी :- श्री बाबुलाल

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 13/25

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/54

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 17.07.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 3, 6, 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र धारा 10, 11 एवं धारा 151 जा. दी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अ. की बहस पर मनन किया। मूल वाद में आज दिनांक को प्रार्थना पत्र धारा 10, 11 एवं धारा 151 जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। अतः मूल वाद में खारिज किये जाने से इस पत्रावली में प्रार्थना पत्र धारा 10, 11 एवं धारा 151 जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के हम प्रार्थीगण स्वामी है और हमारे ही उपयोग उपभोग में है। वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन ताकत के बल पर अनाधिकार रूप से कब्जा कर मेरी खातेदारी की आराजीयात को हडपने पर आमादा है जिसका विपक्षीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं होने का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में हम विपक्षीगण का 1/2 हिस्सा होकर पीढी दर पीढी 1/2 हिस्से का उपयोग उपभोग करना बताकर उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होने से प्रार्थीगण किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा</p>	



निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं परन्तु मौके पर विपक्षीगण का कब्जा भी हो सकता है एवं प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में विपक्षीगण को कब्जे से बेदखल कर सकते है। इस कारण यदि उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर विवाद बढ़ने की सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढ़ेगी तथा इससे उभय पक्षकारान के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 02.06.2025 से विपक्षीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

**—: आदेश :-**

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 449 पर दर्ज आराजी नम्बर 3019, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435 किता 16 कुल रकबा 5.9571 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(FT) मावली